न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 19/2021

उनवान

1 मोहनलाल पुत्र पन्नालाल जाति अहीर नि0 ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. भागचन्द पुत्र रामदेव,
2. मोडा पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर नि0 श्रीनगर, नसीराबाद,
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आर्दश नगर, अजमेर,

—— अप्रार्थीगण :– 1, 2 अनुपरिस्थत
3 जरियें राज0 पैरोकार
4 जरियें अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा

5. शिवराज मृत जरियें वारिसान
5/1. गीता पत्नी शिवराज जाति यादव, नि0 श्रीनगर, नसीराबाद
5/2. सुमन पुत्री शिवराज पत्नी सर्वेश्वर जाति यादव नि0 श्रीनगर, हाल रावतभाटा कोटा
6. कैलाश,
7. प्रेमप्रकाश,
8. रामस्वरूप,
9. सूरजमल, पि0 पन्नालाल,
10. नौरती पुत्री पनालाल पत्नी जगदीश,
11. सम्पत्त पुत्री पन्नालाल पत्नी जीवणराम,
12. सत्यनारायण,
13. धनराज,
14. शिवचरण
15. परमेश्वरी
16. माया
17. भगवती पुत्री हीरालाल जाति यादव नि0 श्रीनगर, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 5 से 17 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नक्शा दुरूस्ती हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 5.4.22

–: आदेश :–

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना [illegible] किया कि ग्राम श्री[illegible] के वंकिंग [illegible] प्रार्थी व खसरा नम्बर 2288 रकबा 0.57 हाल खसरा [illegible] 61 रकबा 0.57 की [illegible]

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

र्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की माता रसी देवी पत्नी पन्नालाल जाति यादव के द्वारा दिनांक 29.03.2006 को जरियें पंजीकृत विक्रय त्र के क्रय की थी। जिस पर प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण काबिज है। उक्त आराजी मौके पर वर्किंग नक्शे के अनुसार ही स्थित है। परन्तु हाल राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 1191/8661 को राजमार्ग के मध्य में दर्शाया है तथा वर्किंग खसरा नम्बर 2288 के स्थान पर हाल खसरा नम्बर 1190, 1191, 1191/8993 को दर्शाया है। जो कि पूर्ण रूप से गलत है। उक्त हाल खसरा नम्बर के वंर्किंग खसरा नम्बर की स्थिति वर्किंग मानचित्र में अलग जगह अंकित थी। आराजी मुतनाजा का वंर्किंग मानचित्र व हाल राजस्व मानचित्र आपस में मेल नही खाते है। खसरा नम्बर 1190 व 1191 राजस्व अभिलेख में बलदेव, देवा, पि. सुगना, शांति व रूकमा पुत्रिया सुगना जाति गुर्जर के नाम दर्ज है। बलदेव, देवा, शान्ति व रूकमा ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र के उक्त भूमि में निहित अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान कर दिया है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण खसरा नम्बर 1190 व 1191 का राष्ट्रीय राजमार्ग का मुआवजा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आया है। जबकि मौके अनुसार राजमार्ग में भूमि हाल खसरा नम्बर 1191/8661 वंर्किंग खसरा नम्बर 2288 की अवाप्त हुयी है। अतः खसरा नम्बर 1191/8661 का मुआवजा प्रार्थी को दिलवाया जावे। वंर्किंग खसरा नम्बर 1049 का राजस्व मानचित्र भी दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा संख्या 1190, 1191, 1233 वंर्किंग खसरा नम्बर 2280 का भाग है जो कि वर्तमान प्रार्थी की भूमि वंर्किंग खसरा नम्बर 2288 के स्थान पर मेरे खसरा नम्बर 1190, 1191 दर्शित कर दिये है। तथा मूल स्थान पर 2280 के केवल मात्र खसरा नम्बर 1233 को ही दर्शित किया गया है जबकि खसरा नम्बर 119 व 1190 भी खसरा नम्बर 1233 के स्थान पर है। मेरा कब्जा व काश्त क्रय दिनांक से वर्तमान खसरा नम्बर 1233 के स्थान पर ही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई आपत्ति जाहिर नही की।

अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1190 व 1191 मे से क्रमशः 0.040 व 0.060 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अवाप्त की गई है जो कि केन्द्र सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है, उक्त अवाप्त भूमि का नामान्तकरण भी राजमार्ग के नाम हो चुका है। अवाप्त भूमि का नियमानुसार मुआवजा निर्धारित कर अवार्ड दिनांक 06.01.15 को पारित किया गया था। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 के तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अवाप्त भूमि का अंकन राजस्व रेकार्ड में सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत अवाप्तशुदा भूमि की सीमा तक प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 5 की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस रेकार्ड पर लिये गये।

प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु तहसीलदार नसीराबाद से विवादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। [illegible] विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन [illegible] रकबा 3-11-0 के हाल खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 1191/8661 रकबा [illegible] बने है। राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नम्बर गलत स्थान पर अंकित है। उक्त स्थान पर हाल खसरा नम्बर 1190, 1191, 1191/8963 अंकित कर दिये है जबकि इन हाल खसरा [illegible] र के साबिक खसरा नम्बर 2288

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:23 IST
Reason: SelfAttested

—3

खण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

..। उक्त खसरा नम्बर का हाल व वंर्किग मानचित्र की तुलना करने पर इन्द्राज त्रुटिपूर्ण ..त है। अतः हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 1190, 1191, 1191/8963 व ..6/1191 की जगह खसरा नम्बर 1191/8661 रकबा 0.43 अंकित होना चाहिये खसरा नम्बर ..25/1191 रकबा 0.14 अवाप्ति अनुसार हाल मानचित्र में अंकित होगा। तहसीलदार नसीराबाद ..ो रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 50 मीटर तक के लिये 0.21 भूमि अवाप्त की जानी
है। वर्तमान में साबिक खसरा नम्बर 2288 में से 0.14 भूमि ही अवाप्त की गयी है अतः 0.07 भूमि नियमानुसार अवाप्त की जावे।

साबिक खसरा नम्बर 1049 रकबा 9–13–0 राजस्व मानचित्र में राजमार्ग के पास स्थित नही है। वंर्किग खसरा नम्बर 1049 के हाल खसरा नम्बर 1531/6320 रकबा 0.15, 1532 रकबा 0.60, 1531 रकबा 0.75 व 1191/8993 रकबा 0.06 बने है। हाल खसरा नम्बर 1191/8993 को राजस्व मानचित्र में राजमार्ग के पास अंकित किया है तथा अन्य खसरा नम्बर को अलग स्थान पर अंकित किया है जो कि विधिवत नही है। उक्त अराजी के अन्य हाल खसरा नम्बर राजमार्ग से दूर स्थित है तथा साबिक खसरा नम्बर भी राजमार्ग से दूर पूर्व मानचित्र में अंकित था। : उक्त भूमि का हाल मानचित्र भी त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। अतः हाल खसरा नम्बर 1191/8993 को वर्तमान स्थान से विलुप्त कर मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी में साबिक खसरा नम्बर 1049 के हाल खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.60, 1531 रकबा 0.75 व 1531/6320 रकबा 0.21 अंकित किया जाना है। हाल खसरा नम्बर 1191/8993 का रकबा हाल खसरा नम्बर 1531/6320 में जोड कर हाल खसरा नम्बर 1531/6320 का रकबा 0.15 के स्थान पर 0.21 अंकित किया जाना है जिससे साबिक खसरा नम्बर 1049 के समस्त हाल खसरा नम्बर राजस्व मानचित्र में एक ही स्थान पर अंकित हो जायेगे।

वादग्रस्त वंर्किग खसरा नम्बर 2280 रकबा 0.16 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.06, 1191 रकबा 0.6 व 1233 रकबा 0.04 बने है। हाल राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 1190, 1191 व 1233 को अलग–अलग स्थान पर अंकित कर दिया है जबकि उक्त तीनों खसरा नम्बर एक ही स्थान पर पूर्व मानचित्र अनुसार अंकित होने चाहिये थे। अतः हाल खसरा नम्बर 1190 व 1190 को वर्तमान स्थान से विलुप्त कर इनका रकबा हाल खसरा नम्बर 1233 में जोड कर 1233 का रकबा 0.16 अंकित करना है। साबिक खसरा नम्बर 2280 में से 0–2–10 भूमि राजमार्ग में अवाप्त हुयी है। हाल खसरा नम्बर 1190/0.06, 1191/0.04 व 1233/0.04 का विक्रय तत्कालीन खातेदार द्वारा भागचन्द पुत्र रामदेव गुर्जर को किये जाने के कारण उक्त भूमि का मुआवजा भागचन्द पुत्र रामदेव गुर्जर प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा हाल खसरा नम्बर 1233 का रकबा संशोधन के बाद 0.16 अंकित करते हुये यह खसरा नम्बर राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम अंकित होना है।

तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा समस्त राजस्व अभिलेख के अवलोकन के बाद उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में त्रुटि दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उक्तानुसार त्रुटि दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी सहमती दी है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रकरण में विस्तुत जवाब पेश किया है किन्तु राजस्व मानचित्र में पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने से अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा की [illegible] विपरित प्रभाव नही पडेगा। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्त[illegible] कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही [illegible] करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रकरण [illegible] करके राजस्व अभिलेख आदिनांक करना आवश्यक है। तह[illegible] प्रस्तुत मौका रिपार्ट से भी प्रार्थना पत्र कें तथ्यों की ताईद होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर में स्थित आराजी मुतनाजा बावत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

—4

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

ीकार" किया जाता है। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 1190, 1191, 1191/8963 व 126/1191 की जगह खसरा नम्बर 1191/8661 रकबा 0.43 अंकित किया जावे। खसरा नम्बर 9125/1191 रकबा 0.14 अवाप्ति अनुसार हाल मानचित्र में अंकित रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 50 मीटर तक के लिये 0.21 भूमि अवाप्त की जानी है। वर्तमान में साबिक खसरा नम्बर 2288 में से 0.14 भूमि ही अवाप्त की गयी है अतः 0.07 भूमि नियमानुसार अवाप्त की जावे। हाल खसरा नम्बर 1191/8993 को वर्तमान स्थान से विलुप्त कर मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी में साबिक खसरा नम्बर 1049 के हाल खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.60, 1531 रकबा 0.75 व 1531/6320 रकबा 0.21 अंकित किया जावे। हाल खसरा नम्बर 1191/8993 का रकबा हाल खसरा नम्बर 1531/6320 में जोड कर हाल खसरा नम्बर 1531/6320 का रकबा 0.15 के स्थान पर 0.21 अंकित किया जावे। जिससे साबिक खसरा नम्बर 1049 के समस्त हाल खसरा नम्बर राजस्व मानचित्र में एक ही स्थान पर अंकित हो जायेगे। हाल खसरा नम्बर 1190 व 1191 को वर्तमान स्थान से विलुप्त कर इनका रकबा हाल खसरा नम्बर 1233 में जोड कर 1233 का रकबा 0.16 अंकित करते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:23 IST
Reason: SelfAttested